FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 54/2017

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थी

देवाराम — पोकरराम वगैरा

किस्म मुकदमा–रेवेन्यू प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.9.2017	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र वास्ते बहस दिनांक 20.09.2017 को पेश हो।	
20.9.2017	सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) राज. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। मूल पत्रावली 10/14 देवाराम बनाम पोकरराम अन्तर्गत धारा 75 निर्णय दिनांक 30.05.2017 के साथ पेश हो। अधिवक्ता प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वास्ते आदेश दिनांक 26.09.2017 को पेश हो।	
26.9.2017	सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) राज. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। हमने बहस मनन किया तथा प्रार्थना पत्र का मूल पत्रावली के साथ अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सपठित धारा 114 के साथ पेश किया है। जिसमें दर्शाया है कि अपीलाण्ट की ओर से लिखित बहस पेश की गई जिस पर न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया साथ ही न्यायालय के आदेश दिनांक 30.05.2017 पर दृष्टि डालने से यह बात भली भांति स्पष्ट होती है कि अपील में पक्षकार अपील व रेस्पोंडेंट कौन कौन है बिना पक्षकारों के उल्लेख के आदेश महत्वहीन साबित होता है। अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण संख्या 1426 खसरा नम्बर 144 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा ग्राम लूणी को निरस्त कराने के सम्बंध में अपील दायर की थी। अपील के सम्बंध में नामान्तरकरण संख्या 1426 के सम्बंध में आदेश भी पारित नहीं हुआ जो आदेश दिनांक 30.05.2017 को जारी किया गया उसमें नामान्तरकरण संख्या 1420 का उल्लेख किया गया जबकि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 1426 दिनांक 05.08.2013 के लिये प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी का यह भी निवेदन है कि ग्राम पंचायत लूणी सरपंच ने फर्जी बेचान इकरार, आम मुख्त्यारनामा एवं वसीयत इत्यादि दस्तावेज को देखे बिना, बिना प्रस्ताव के तथा बिना कानूनी कार्यवाही के ग्राम पंचायत के फर्जी सरपंच के हस्ताक्षर के नामान्तरकरण संख्या 1426 स्वीकृत किया गया जिसे रिव्यू करना लाजिमी है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित कृषि भूमि खसरा	

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

नम्बर 144 अथवा नामान्तरकरण संख्या 1426 के सम्बंधित कृषि भूमि पर अपीलाण्ट का हक अधिकार व कब्जा काश्त आज भी है। हमने रिव्यू प्रार्थना पत्र के साथ साथ मूल आदेश दिनांक 30.05.2017 का अवलोकन किया तथा मूल अपील की पत्रावली में नामान्तरकरण संख्या 1426 बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर का अवलोकन किया व लिखित बहस का भी मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण (2009)4 एससीसी 193 का अवलोकन किया। साथ ही इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.05.2017 का अवलोकन किया। यह आदेश देखने मात्र से नामान्तरकरण संख्या 1420 के सम्बंध में होना प्रतीत हो रहा है जो लिपिकीय अथवा टंकण त्रुटि के साथ साथ अपने आप में अपूर्ण होना प्रतीत हो रहा है। प्रार्थना पत्र में यह सामने आया है कि बेचान रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 4 को दबाव व धमकी के साथ फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज के आधार पर करवाया तथा ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये यह नामान्तरकरण पारित कर दिया जो सही प्रतीत नहीं हो रहा है। यह सर्वमान्य विधि का सिद्धांत है कि नामान्तरकरण पारित करते समय ग्राम पंचायत को प्रस्तुत दस्तावेजात की भली भांति जांच करने के पश्चात बैठक कार्यवाही विवरण में निर्णय होने के पश्चात ही कोई निर्णय लेना चाहिये था जैसा कि प्रार्थी का यह कथन है कि ग्राम पंचायत लूणी ने फर्जी बेचान इकरार, आम मुख्त्यारनामा, वसीयत इत्यादि के दस्तावेज देखे बिना ही तथा बिना कानूनी कार्यवाही के ग्राम पंचायत के फर्जी सरपंच के हस्ताक्षर नामान्तरकरण संख्या 1426 पर होना बताया है। हमारे समक्ष यह तथ्य विचारणीय हो गया है कि किसी पक्षकार द्वारा ग्राम पंचायत की कार्यवही पर संदेह व्यक्त किया जाता है तो हमारे विचार से न्यायिक प्रक्रिया में सुव्यवस्थित निर्णय हेतु यह उचित रहेगा कि मामले में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की सक्षम अधिकारी द्वारा जांच करवा लेनी चाहिये। हम यहां यह उल्लेख करना भी मुनासिब समझते हैं कि प्रकरण में गुणावगुण पर जांच से किसी के हितों की अनदेखी नहीं होगी बल्कि सही न्याय करने में सुविधा रहेगी। इन तमाम तथ्यों की रोशनी में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.05.2017 को जो अपने आप में अपूर्ण है, को वापस लिया जाता है तथा मामला तहसीलदार लूणी को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1426 दिनांक 05.08.13 को जो ग्राम पंचायत लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया, को खारिज किया जाता है व तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलाधीन नामान्तरकरण के सम्बंध में हितबद्ध काश्तकार, पक्षकार की सुनवाई कर विधिसम्मत नया नामान्तरकरण स्वीकृत करावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखित दफ्तर हो।

6/9/2017

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner